Case No. 32/21

SPEED POST

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

समन

छठा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट
नई दिल्ली- 110003

फाइल सं. - NCST-16012(MHFW)/1/2021-RU-III (SSW)

सेवा में,

डॉ. हर्षद पी. ठाकुर,
निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली– 110067

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 10.09.2021 को 11.00 AM बजे आपकी **व्यक्तिगत** उपस्थिति एतदद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामले का संदर्भ

1. परिचारक के पद पर दैनिक रूप से कार्यरत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बिना सूचना नौकरी से हटाये जाने एवं उसके वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री संजीव कुमार, डी –II 307, डॉ. अम्बेडकर नगर सेक्टर 4, (मदनगीर) नई दिल्ली –110062 का अभ्यावेदन।
2. आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.02.2021 तथा रा.स्वा.एवं परिवार कल्याण संस्थान का पत्र संख्या 12027/2/2021-प्रशा.– II दिनांक 13.07.2021।

यदि आप बिना किसी विधि–सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

3 सितंबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

o/c

जारी किया
ISSUED

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर